# न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, फतेहपुर (सीकर)

पीठासीन अधिकारी का नाम– रेनू मीणा आर.ए.एस.

मुकदमा नम्बर – 77 / 2015

1. रणजीतसिंह
2. सुखदेवाराम पुत्रगण रामदेवाराम
   जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

.......वादीगण

<u>बनाम</u>

1. दीपाराम मृत
   क. रुकमा देवी बेवाह दीपाराम
   ख. परमेश्वरी देवी पुत्री दीपाराम
   ग. छोटू देवी पुत्री दीपाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
2. भेमाराम मृत
   क. बलबीर पुत्र भेमाराम
   ख. महावीर पुत्र भेमाराम
   ग. विमला देवी पुत्री भेमाराम
   घ. भंवरी देवी बेवाह भेमाराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
3. सगरमल पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
4. पतासी देवी बेवाह पोखरमल जाति
5. भंवरलाल
6. बनवारीलाल
7. गिरधारीलाल
8. महिपाल
9. बरजी बेवाह गणपतराम
   समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
10. महेन्द्र कुमार आयु 17 साल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता बरजी देवी पत्नि गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
11. सुनील कुमार पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
12. प्रबन्धक ग्रामीण शेखावाटी बैंक शाखा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर ( सीकर )

13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
14. हल्का पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
15. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उद्घोषणा ,संशोधन खाता व स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

उपस्थित अधिवक्ता
श्री राजेश कुमार चौधरी – वादीगण
श्री त्रिलोकसिंह – प्रतिवादीगण

निर्णय दिनांकः–16.04.2018

वादीगण की ओर से प्रस्तुत वाद का संक्षिप्त विवरण इस प्रकार है कि भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर वाके ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर में अवस्थित है।

भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर तथा भूमि खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर वाके ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 की पैत्रिक वंशानुगत कृषि भूमियां है जिनका पूर्व में खातेदार काश्तकार वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 का पूर्वज चतराराम था जिसका उक्त भूमियों पर कब्जा, काश्त उपयोग उपभोग साधिकार था।

भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर तथा भूमि खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर बरुए वंशवृक्ष वादीगण का 1/3 हिस्सा भूमि भाग तथा प्रतिवादी संख्या 1 का 1/12 हिस्सा, प्रतिवादी संख्या 2 का 1/12 हिस्सा , प्रतिवादी संख्या 3 का 1/12 हिस्सा भूमि भाग तथा प्रतिवादी संख्या 4 ता 8 का संयुक्त 1/12 हिस्सा भूमि भाग तथा प्रतिवादी संख्या 9,10 का 1/3 हिस्सा भूमि भाग है और इसी हिस्सा भूमि भाग अनुसार वादीगण का उक्त भूमियों में कब्जा काश्त उपयोग उपभोग स्वर्गीय चतराराम रामदेवाराम के समय से आज तक साधिकार चला आ रहा है आज भी वादीगण का ही अपने हिस्सा भूमि भाग अनुसार कब्जा काश्त है।

उक्त भूमियों पर उपरोक्त प्रकार वादीगण के पूर्वज रामदेवाराम व प्रतिवादी संख्या 9,10 के पूर्वज सुरजाराम का 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि भाग पर भौतिक कब्जा काश्त होने पर भी स्व0 मूंगाराम परिवार का मुखियां व बड़ा भाई होने व सुरजाराम व रामदेवाराम भारतीय सेना में सेवारत होने से उक्त भूमियों की खातेदारी बिना किसी हक अधिकार व कब्जे के अकेले मूंगाराम के नाम दर्ज हो गई जो वादीगण व वादीगण के पूर्वज रामदेवाराम के हक अधिकार व कब्जे के समक्ष अकृत शून्य व प्रभावहीन है कालान्तर में उक्त भूमियों की खातेदारी मूंगाराम

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अकेलों के नाम दर्ज हो गई जो भी वादीगण के उक्त भूमियों के
हक अधिकार व कब्जे काश्त के समक्ष अकृत शून्य व प्रभावहीन है।

वादीगण को उक्त कृषि भूमि खसरा नंबर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर तथा खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर वाके ग्राम कांगनसर का 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि भाग वादीगण को उत्तराधिकार में प्राप्त होकर उनके पूर्वजों के समय से भौतिक कब्जे काश्त की होकर वर्तमान में भी वादीगण का ही भौतिक कब्जा काश्त होने से वादीगण उक्त भूमियों के 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि भाग की खातेदारी अपने नाम उद्घोषित करवाने के अधिकारी है।

उक्त भूमियों वादीगण व प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 10 को उत्तराधिकार में प्राप्त होकर सहखातेदारी व सह कब्जे की है किन्तु पक्षकारान के मध्य हुये बाहमी विभाजन अनुसार पिछले 40 साल से पहले वादीगण के पिता रामदेवाराम व अब वादीगण भूमि खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर का पश्चिमी ओर का 1/2 हिस्सा भूमि भाग अलग से काश्त करते है और वादीगण का पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग पर अलग से कब्जा काश्त है वादीगण ने अपने खसरा नंबर 120 के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग के अलग से तारबंदी कर रखी है। चूंकि परिवार काफी बड़ा हो गया है उक्त भूमियां अब शामिल शरीक रखना संभव नहीं है। अतः वादीगण अपने भौमिक कब्जे काश्त अनुसार माप व सीमांकन से विभाजन करवाना चाहते है जिसका उन्हें पूर्ण हक अधिकार है। प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अकेलों के नाम बनी गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वादीगण के भूमि खसरा नंबर 120 के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग का खाता व लगान अपने अकेलों के नाम निर्धारित करवाना चाहते है जिसका उन्हें पूर्ण हक अधिकार है।

प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 अकेलों के नाम बनी गलत खातेदारी के आधार पर प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 वादीगण के भूमि खसरा नंबर 120 के पश्चिमी ओर के 1/2 हिस्सा भूमि भाग के भौमिक कब्जे काश्त, उपयोग, उपभोग में दखल देने दिलाने को तथा उक्त भूमियों की गलत खातेदारी के आधार पर उक्त भूमियों का नुमायशी विक्रय अथवा अन्यथा अंतरण करने करवाने को व उक्त भूमियों को ऋण मार से ग्रस्त करने करवाने को करीब 15 दिन से तत्पर है जिसका उन्हें कोई हक अधिकार नहीं है प्रतिवादीगण की उपरोक्त अवैध हरकतों के क्रियान्वयन से वादीगण को अपूर्णीय क्षति होगी ।

प्रतिवादी संख्या 2 भेभाराम ने उक्त भूमियों के अपने 1/12 हिस्सा सम्पूर्ण बाहमी विभाजन से प्राप्त 0.39 हैक्टेयर भूमि अर्थात खसरा नंबर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर में से 1/4 हिस्सा भूमि का विक्रय प्रतिवादी संख्या 11 सुनिल कुमार को विक्रय कर देने के बाद भेभाराम का उक्त भूमियों में कोई हक हिस्सा नही है।

वादीगण को उक्त भूमियां उत्तराधिकारी में प्राप्त होकर वादीगण के भौतिक कब्जे, काश्त की साधिकार होने से वादीगण प्रतिवादीगण को वादीगण के उक्त भूमियों के कब्जे

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

में किसी भी प्रकार की दखल देने दिलाने से ... व पंजीकृत करने करवाने
... करने करवाने तत संबंधी कोई अंतरण पत्र लिखने लिखवाने व पंजीकृत करने करवाने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित
तथा उक्त भूमियों को ऋण भार से ग्रस्त करने करवाने से जरिये स्थाई निषेधाज्ञा प्रतिबंधित
करवाने के अधिकारी है।

वादीगण ने प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 8 को उक्त भूमियों की खातेदारी वादीगण के 1/3, 1/3 हिस्सा भूमि भाग अनुसार संशोधित करवा देने तथा उक्त भूमियों में वादीगण के कब्जे काश्त उपयोग, उपभोग में दखल देने दिलाने से बाज रहने को कई बार निवेदन किया किन्तु वे बाद टालमटोल दो दिन से स्पष्ट इंकार है अतः उनके विपरीत यह बाद संस्थित करना आवश्यक हुआ है।

वाद वादीगण बहक वादीगण खिलाफ प्रतिवादीगण डिक्री किया जाकर भूमि खसरा नंअर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर, खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर वाके ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्सा भूमि भाग का काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण को उदघोषित किया जावे तथा यह भी उदघोषित किया जावे कि उक्त भूमियों में वादीगण का 1/3 हिस्सा भूमि भाग प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/3 हिस्सा भूमि भाग है।

## आदेश

वाद दर्ज रजिस्टर किया गया। प्रतिवादीगण की तलवी जारी की ग... त्रिलोकसिंह एड. ने वकालतनामा प्रतिवादीगण संख्या 1 ता 3, 6 व 9, 10 की ओर से त्रिलोकसिंह एड. ने वकालनामा ... इकाबालिया जवाब दावा पेश किया । प्रतिवादी संख्या 5, 7, 8, 11 व 12 बावजूद तामील हाजिर नहीं होने पर इनके विरुद्ध एक तरफा कार्यवाही अमल में लायी गयी। प्रतिवादी स... 4 का जवाब बंद किया गया। वकील वादीगण ने साक्ष्यवादी में शपथ पत्र प्रस्तुत किये व... प्रतिवादीगण ने जिरह से इंकार किया। पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया गया। ... सुनी गयी एवं मनन किया गया। अतः वाद वादी डिक्री किया जाता है कि भूमि खसरा ... 104 रकबा 1.56 हैक्टयर, खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर वाके ग्राम कांगनसर त... फतेहपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्सा भूमि भाग का काबिज खातेदार काश्तकार वादीग... एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का ... हिस्सा भूमि भाग उदघोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान ... जारी रहेगा।

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी फतेहपुर (सीकर)

निर्णय आज दिनांक 16.04.2018 को खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

# पर्चा डिक्री मुकद्दमा इब्तदाई

(ओ. 20 रूल 6–7 जाब्ता दीवानी)

अज अदालत उपखण्ड अधिकारी..................मुकाम.........फतेहपुर (सीकर)

इजलास................रेनू मीणा (आर.ए.एस..)............................................................

1. रणजीतसिंह
2. सुखदेवाराम पुत्रगण रामदेवाराम

जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

........वादीगण

बनाम

1. दीपाराम मृत

क. रुकमा देवी बेवाह दीपाराम

ख. परमेश्वरी देवी पुत्री दीपाराम

ग. छोटू देवी पुत्री दीपाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

2. भेभाराम मृत

क. बलबीर पुत्र भेभाराम

ख. महावीर पुत्र भेभाराम

ग. विमला देवी पुत्री भेभाराम

घ. भंवरी देवी बेवाह भेभाराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

3. सगरमल पुत्र मूंगाराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0
4. पतासी देवी बेवाह पोखरमल जाति
5. भंवरलाल
6. बनवारीलाल
7. गिरधारीलाल
8. महिपाल
9. बरजी बेवाह गणपतराम

समस्त जाति जाट निवासीगण ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज

उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

10. महेन्द्र कुमार आयु 17 साल पुत्र गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0 अवयस्क जरिये प्राकृतिक संरक्षिका माता बरजी देवी पत्नि गणपतराम जाति जाट निवासी ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

11. सुनील कुमार पुत्र बलबीर जाति जाट निवासी ग्राम अलफसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

12. प्रबन्धक ग्रामीण शेखावाटी बैंक शाखा बेसवा तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

13. तहसीलदार एवं उपपंजीयक फतेहपुर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

14. हल्का पटवारी, पटवार हल्का उदनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर राज0

15. जिला कलेक्टर सीकर जिला सीकर राज0

..........प्रतिवादीगण

दावा बाबत उदघोषणा ,संशोधन खाता व स्थाई निषेधाज्ञा व विभाजन

मुकदमा नं.....77.......................सन्....2015..........................

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू.........मेरे............................ मिनजानिब मुद्दई रूबरू......श्री त्रिलोकसिंह व हाजिरी...श्री राजेश कुमार चौधरी एडवोकेट........................ मनजानिब मुद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है व डिगरी दी जाती है कि भूमि खसरा नंअर 104 रकबा 1.56 हैक्टयर, खसरा नंबर 120 रकबा 2.86 हैक्टयर वाके ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर जिला सीकर के 1/3 हिस्सा भूमि भाग का काबिज खातेदार काश्तकार वादीगण को एवं प्रतिवादी संख्या 1 ता 8 का 1/3 हिस्सा तथा प्रतिवादी संख्या 9 व 10 का 1/3 हिस्सा भूमि भाग उदघोषित किये जाने के आदेश दिये जाते है। रहन खातेदारान बदस्तुर जारी रहेगा।

निज........– ...........................मुबलिग..............–..................बाबत........................–.................. खर्चा इस मुकदमें के मय शूद बशरह..............–..........................फीसदी सालाना आज की तारीख से तरीख अदायगी तक..........................................का अदा करें।

बसब्त मेरे दस्तखत व मुहर अदालत के आज तारीख .....16....माह .....अप्रैल.........सन् 2018 को जारी की गई।

दस्तखत..........................................

ओहदा.............उपखण्ड अधिकारी.........
फतेहपुर (सीकर)

मुहर

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी

| मुद्दई | रुपया | पैसा |
|---|---|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा | 6 | |
| स्टाम्प वकालत नामा | 1 | |
| स्टाम्प वजह सबूत | – | |
| महन्ताना वकील | – | |
| खर्चा गवाहान | – | |
| फीस कमिश्नर | – | |
| बबत इजराय हुक्मनामा | – | |
| मुतफरिक | – | |
| मीजान | 7 | |

| मुद्दायलह |
|---|
| स्टाम्प अर्जी दावा |
| स्टाम्प वकालत नामा |
| स्टाम्प वजह सबूत |
| महन्ताना वकील |
| खर्चा गवाहान |
| फीस कमिश्नर |
| बबत इजराय हुक्मनामा |
| मुतफरिक |

नोट – इस खर्चा के फार्म पर कुल खर्चा हर दो पुरीकेत का चाहे डिगरी के जरिये

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी
फतेहपुर (सीकर)

उपखण
फतेह

ग्राम कांगनसर तहसील फतेहपुर